संख्या- 14(5)संस्था-समन्वय (I)/2002

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्तूबर, 2004

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- **वर्ष 2003-2004 के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की मंजूरी आदेशों को स्वायत्तशासी निकायों के लिए लागू करना।**

इस मंत्रालय के दिनांक 30.09.2004 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14(1)संस्था समन्वय (I)/2004 द्वारा ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को, जो उत्पादकता से जुड़ी बोनस (पी.एल.बी.) स्कीम के अंतर्गत नहीं आते, लेखा वर्ष 2003-2004 के लिए 30 दिनों की परिलब्धियां उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के रूप में प्राधिकृत करने के आदेश जारी किए गए हैं। मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अब यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त आदेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन यथास्वीकार्य उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) ऐसे स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों को भी दिया जाए जिनका वित्त-पोषण अंशत: अथवा पूर्णत: केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है और जो (i) केन्द्र सरकार के समान परिलब्धियों की पद्धति का अनुसरण करते हैं और (ii) जहां अन्य कोई बोनस या अनुग्रहपूर्वक राशि या प्रोत्साहन स्कीम प्रचालन में नहीं है।

2. इन आदेशों के प्रचालन के संबंध में कोई संदेह होने के मामले में इस मंत्रालय के समय-समय पर यथा-संशोधित दिनांक 04.10.1988 के का.ज्ञा.सं.एफ-14(10)/संस्था समन्वय/88 द्वारा परिचालित किए गए स्पष्टीकरण आदेशों को आवश्यक परिवर्तनों सहित ध्यान में रखा जाए।

3. विभिन्न संगठनों के संबंध में उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के कारण दायित्व की पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषण किए जाने संबंधी किसी भी अनुरोध पर संबंधित मंत्रालयों द्वारा 30.09.2004 के कार्यालय ज्ञापन में दी गई शर्तों को ध्यान में रखते हुए विचार नहीं किया जाएगा। उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) संबंधी व्यय को संबंधित संगठनों को अपने-अपने वर्तमान बजटीय प्रावधानों में से पूरा करना चाहिए। यदि ऐसे स्वायत्तशासी निकाय भी, जिनका वित्त-पोषण केन्द्र सरकार द्वारा नहीं किया जाता है, इन आदेशों को अपने कर्मचारियों के संबंध में भी लागू करते हैं तो इसके लिए वित्त-पोषण का कोई भी दायित्व किसी भी स्थिति में केन्द्र सरकार पर नहीं होगा।

(एन.के. चड्ढा)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23093686

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 1

सं.: 8-1(1)/2002-ई.II

दिनांक 07-10-2004

सूचना, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित।

1. सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी
2. सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ वित्त तथा लेखा अधिकारी/वित्त तथा लेखा अधिकारी
3. सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स प्रशासन/लेखा अनुभाग
4. सीएसआईआर मुख्यालय के अधिकारी/अनुभाग/प्रभाग/यूनिट (संलग्न सूची के अनुसार)।
5. कार्यालय प्रति

(जे.जे. सिंह)
अनुभाग अधिकारी (ई.II)

General Section
C.S.I.R.
Dy. No. 5 [illegible]
Date

NO.14(5)/E.Coord I/2002
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, the 1st October, 2004

OFFICE MEORANDUM

Subject:- Grant of Non-PLB (ad-hoc bonus) to Central Government Employees for the year 2003-2004 – Extension of orders to Autonomous Bodies.

Orders have been issued vide this Ministry's Office Memorandum No.14[1]-E.Coord I/2004 dated 30.9.2004 authorizing 30 days emoluments as Non-PLB (ad-hoc bonus) for the accounting year 2003-2004 to the Central Government employees not covered by the Productivity Linked Bonus Schemes. The undersigned is directed to say that it has now been decided that the Non-PLB (ad-hoc bonus) so admissible subject to the terms and conditions laid down in the aforesaid orders, may be extended to the employees of autonomous bodies, partly or fully funded by the Central Government which (i) follow the pattern of emoluments identical to that of the Central Government and (ii) do not have any bonus or ex-gratia or incentive scheme in operation.

2. In case of doubt as to the operation of these orders, the clarificatory orders circulated vide this Ministry's O.M. No. 14(10)-E.Coord/88, dated 4.10.88, as amended from time to time, may be kept in view mutatis mutandis.

3. Any request for funding by the Government to meet the liability on account of Non-PLB (ad-hoc bonus) in respect of various organizations would not be considered by the Ministries concerned having regard to the stipulation of aforesaid O.M. dated 30.9.2004 that the expenditure on Non-PLB (ad-hoc bonus) should be met from within the existing budgetary provisions of the respective organizations. While the Autonomous Bodies not funded by the Central Government may also adopt these orders in respect of their employees, no liability for funding will in any case lie on the Central Government on this account.

Sd/-
(N.K. CHADHA)
DEPUTY SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA
23093686

To

All Ministries and Departments of the Government of India
(as per standard distribution list)

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 1

सं.: 8-1(1)/2002-सा०

दिनांक 07-10-2004

सूचना, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रसारित।

1. सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी
2. सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ वित्त तथा लेखा अधिकारी/वित्त तथा लेखा अधिकारी
3. सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स प्रशासन/लेखा अनुभाग
4. सीएसआईआर मुख्यालय के अधिकारी/अनुभाग/प्रभाग/यूनिट (संलग्न सूची के अनुसार)।
5. कार्यालय प्रति

जितेन्द्र कुमार सिंह 07/10/04
(जे.के. सिंह)
अनुभाग अधिकारी (सा०)

(चन्दन)

संख्या- 14(1)/संस्था-समन्वय-I/2004

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक - 30 सितम्बर, 2004

कार्यालय ज्ञापन

विषय **वर्ष 2003-2004 के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की मंजूरी ।**

मुझे, केन्द्रीय सरकार के समूह "ग" तथा "घ" कर्मचारियों और समूह "ख" के सभी अराजपत्रित अधिकारी, जो उत्पादकता से संबद्ध किसी भी बोनस स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं, को वर्ष 2003-2004 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) मंजूर किए जाने के बारे में राष्ट्रपति की स्वीकृति से अवगत कराने का निदेश हुआ है । 2500/- रुपए की परिकलन सीमा अपरिवर्तित रहेगी । यह भुगतान केन्द्रीय पुलिस तथा अर्धसैनिक कार्मिकों तथा सशस्त्र बल कर्मियों के लिए भी लागू होगा । यह आदेश संघ शासित क्षेत्र प्रशासकों के उन कर्मचारियों पर भी लागू माने जाएंगे, जिन पर परिलब्धियों के संबंध में केन्द्र सरकार की पद्धति का अनुसरण किया जाता है तथा जो अन्य किसी बोनस या अनुग्रह अदायगी की स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं ।

2. यह लाभ निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा:-

(i) केवल वे ही कर्मचारी इन आदेशों के अंतर्गत अदायगी के पात्र होंगे जो 31.3.2004 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2003-2004 के दौरान कम से कम छह महीने की लगातार सेवा पूरी की हो । वर्ष के दौरान छह महीने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को अनुपातिक अदायगी स्वीकार्य होगी, पात्रता की अवधि की गणना सेवा के महीने (महीनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित) की संख्या में की जाएगी ।

(ii) उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की प्रमात्रा औसत परिलब्धियों/परिकलन सीमा, इनमें से जो भी कमतर हो, पर आधारित होगी । एक दिन के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना करने के लिए एक वर्ष की औसत परिलब्धियों को 30.4 (एक महीने के औसत दिनों की संख्या) से भाग दिया जाएगा । फिर इसे बोनस दिए जाने वाले दिनों की संख्या से गुणा कर दिया जाएगा । उदाहरणार्थ परिकलन सीमा 2500/- रुपए मानते हुए (जहां वास्तविक औसत परिलब्धियां 2500/- रुपए से ज्यादा है) 30 दिनों के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) 2500 X 30/30.4 = 2467.10/- रुपए (2467/- रुपए में पूर्णांकित) होगा ।

प्राप्ति
सी. एस. आई. आर.
RECEIVED ON
7 OCT 2004
डायरी सं.
Dy. No.

...2/-

(iii) वे दिहाड़ी मजदूर, जिन्होंने 6 दिवसीय कार्य दिवस वाले कार्यालयों में पिछले तीन साल अथवा इससे अधिक सालों में हर साल कम से कम 240 दिनों तक (पांच दिवसीय कार्य दिवस वाले कार्यालयों के मामले में 3 वर्ष या अधिक वर्षों हेतु हर वर्ष 206 दिन) कार्य किया है, वे इस उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के हकदार होंगे । उन्हें देय उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) 1200 x 30/30.4/- रुपए अर्थात 1184.21/- रुपए (1184/- रुपए में पूर्णांकित) होगा । ऐसे मामलों में जहां वास्तविक परिलब्धियां 1200/- रुपए प्रतिमाह से कम हैं, इस राशि की गणना वास्तविक मासिक परिलब्धियों पर की जाएगी ।

(iv) इन आदेशों के अंतर्गत सभी अदायगियां निकटतम रुपए में पूर्णांकित की जाएंगी ।

(v) ऐसे मामलों में जहां उपर्युक्त उपबंधों में कोई व्यवस्था नहीं है, समय-समय पर संशोधित इस मंत्रालय के दिनांक 4.10.1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.14(10)-संस्था-समन्वय/88 के द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण आदेश से लागू होंगे ।

3. इन आदेशों के अंतर्गत अदायगियां संबधित संगठनों की संगत अनुदानों की मांगों में उप-शीर्ष "वेतन" में प्रभार्य होगी ।

4. उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) पर होने वाला व्यय संबंधित मंत्रालयों/विभागों के चालू वर्ष के लिए स्वीकृत बजट प्रावधान के भीतर ही किया जाना है ।

5. जहां तक, भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों पर इनके लागू होने का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

(एन.के. चड्ढा)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 2309386

सेवा में,

— भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को मानक वितरण सूची आदि के अनुसार ।
— प्रतिलिपि (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक वितरण सूची के अनुसार प्रेषित ।

(चन्दन)